

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-1) विभाग

क्रमांक: प० 8(5)कार्मिक/ख-1/2012 पार्ट-गा

जयपुर, दिनांक: 14 AUG 2017

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2011 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक/लिपिक ग्रेड-गा के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 8910/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/-) अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम श्री	पिता का नाम	वर्ग	रो० नं०	मेरिट सं.	जन्म तिथि
1.	पंकज कुमार गुप्ता ✓	सुरेश चन्द्र गुप्ता	GE	207272	117	01.07.1981
2.	गौरव स्वामी ✓	ब्रिज लाल स्वामी	BC	300501	168	25.05.1981
3.	अजमाल काठात ✓	हुसैन खान	BC	109393	181	01.09.1978
4.	ललित पालड़िया ✓	रामेश्वर लाल पालड़िया	BC	113801	183	21.07.1976
5.	काली चरण ✓	दिगम्बर सिंह	BC	204161	175	27.01.1984
6.	दिनेश कुमार ✓	महाराज सिंह	BC	204814	188	11.12.1987
7.	हरेन्द्र सिंह ✓	महाराज सिंह	BC	206549	197	08.02.1979

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धाति अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड-गा के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13-03-2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/ रूल्स/ 2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशेधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12-09-2008 के नियम 21 व परिशिष्ट-IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमार वत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
- परीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर परली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको लिपिक ग्रेड-ग के पद पर राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 के नियम 32 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
9. दो वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-ग के पै-बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/-) में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
10. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते हैं तो इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्मालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ0 6(7)परीक्षा "घ" कनिष्ठ लिपिक/सचिवालय/अभि./2010-11/ 1733 दिनांक 27.07.2017 के संदर्भ में।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की जांच रिपोर्ट एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संबंधित को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)।
5. कार्मिक (ग) विभाग को मय अतिरिक्त प्रति।
6. अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित मूल दस्तावेज, स्वारथ्य जांच प्रमाण पत्र तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (विभागाध्यक्ष से प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त कर) साथ लावें।
7. कार्मिक (ख-3)/(ख-4) विभाग।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(एस.पी.एस. यादव)
सहायक शासन सचिव